

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

नं. हरिलिंह वगैरे वनाम हरलाल वगैरे
मुकदमा दावा मुकदमा नं. 129 सन् 2020

ब्र हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
	<p>30-09-2020</p> <p>वकील वादीगण/वादी श्री <u>भजनाराम</u> ने हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण की तलवी जरिए सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 27/10/2020 को पेश हो।</p>	<p>452-62 30-9-2020</p>
	<p>27-10-2020</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभयपक्ष उपर वकीलगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 की ओर से शपथनामा पेश हुआ। वकीलगण की पहचान श्री भजनाराम एड. ने की तथा वारी सं. 3 की ओर से श्री भजनाराम एड. ने शपथनामा स्वीकार किया एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 की पहचान श्री अमर कुमार एड. ने की। उपरिक्त पक्षकारान को शपथनामा पत्र सुनाया गया जिसे सुन व.सम्पत्ता उपरिक्त पक्षकारान द्वारा स्वी होना स्वीकार किया। अतः एस्बस्वादिश पक्षकारान शपथनामा वाद तस्हीन शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते तलवी प्रतिवादी सं. 9 ता 11 हेतु दिनांक 03-11-2020 को पेश हो।</p>	<p><i>[Handwritten signatures and notes]</i></p>
	<p>29/12/2020</p> <p>पत्रावली आज नियत इकजाही पेशी पर हुई। वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित।</p>	<p><i>[Handwritten notes]</i></p>

प्रतिवादी सं० १ ता ॥ की तामील सम्पत्त मय से होकर लोयी है। बावजूद सम्पत्त तामील उक्त प्रतिवादी की ओर से आदिनांउ कोई हीजिरे कफालत नही कामा है कतः उक्त प्रतिवादी सं० १ ता ॥ के विरुध एउ पक्षीय कार्यवाही उमल में लार्क जागी है।

प्रकरण में बहस वकुलाय उमय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय उमय पक्ष ने मुताबिउ राजीनामा दावा डिही कर-मामा जाने का निवेदन किया।

प्याबली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एवं राजीनामा का अकलोकन किया गया। पूंउि विवादित पक्षधारान के मध्य राजीनामा होकर न्यायालय हाजा दुबारा तस्दीउ किया जा चुका है। अतः वाद, वादीगव मुताबिउ राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिही किया जात है। राजीनामा डिही का भाग रहेगा। मुताबिउ राजीनामा राजस्व रेकार्ड में उमल दरामद ही तब तदनुसार प्रकरण में पर्चा डिही मुतीव हो। प्याबली कैसल शुमार होकर नम्बर से कुम हो तब बाद तहमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांउ २१/12/2020 को मेरे दुबारा हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनामा गया।

(राकेश कुमार)

RAS

उपस्थान्त अधिकारी
सपडोला (सीबीजे)

